

01/11/17 on late boundary
न्यायलय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 657/2017.....

धारा 107 द.प्र.स.

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कार्रवाई
19.4.17	<p>श्री. अंशु आर्य बनाम नमनू डांसडा शोविन्दपुर धाना अप्राथमिकी सं० 38/17.....</p>	<p>27/5/17</p>
19/6/17	<p>प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी सं० अ०नि०/अ०नि० शोविन्दपुर.....ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन धाना प्रभारी शोविन्दपुर..... धाना एवं अ० निरी० शोविन्दपुर.....ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच.....</p>	<p>5/6/17</p>
19/6/17	<p>..... धाना नमनू डांसडा - 68/17 को लेकर</p>	<p>13/6/17</p>
19/6/17	<p>तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 5.5.17..... को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो समप्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।</p>	<p>4/7/17</p>
19/6/17	<p>.....</p>	<p>23-8-17</p>
19/6/17	<p>.....</p>	<p>6/9/17</p>
19/6/17	<p>.....</p>	<p>16/9/17</p>
19/6/17	<p>.....</p>	<p>5/10/17</p>
19/6/17	<p>.....</p>	<p>18/10/17</p>
19/6/17	<p>.....</p>	<p>3/11/17</p>
19/6/17	<p>.....</p>	<p>20/11/17</p>
19/6/17	<p>.....</p>	<p>1/12/17</p>

लेखापित एवं संशोधित

19/10/17
 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद

19/10/17
 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद

1113 - प्रथम पल पाठ को हाजरी है कि ॥ ५५ ॥ का
अविद्वान है जिसे कि ज्ञाता है
द्वितीय पल कथ्य है

दि २०/११/१७ को २६

का

1113 - प्रथम पल पाठ को हाजरी है कि ॥ ५५ ॥ का अविद्वान है
जिसे कि ज्ञाता है

द्वितीय पल कथ्य है वार्ड निर्गत है

ठाकुरवाला लोके अथ वा ५ का
कार्यवाही - अथवा लोके कार्यवाही -
समाप्त की जाती है तथा वार्ड वापस
की जाती है।

दि
२०/११/१७